कार्यालय
सामान्य वनमण्डल सीहोर

सीहोर–इछावर मार्ग, सीहोर (म.प्र.)466001 Mob-9424790850 E-mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2023/7753 सीहोर दिनांक 04/08./2023

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग सीहोर।

विषय:–सीहोर जिले के अंतर्गत वन रेहटी के अंतर्गत प्रस्तावित महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि 37.031 हेक्टेयर के व्यपवर्तन के संबंध में।

संदर्भ:– आपका पत्र क्रमांक/2443/2023 दिनांक 31.07.2023 एवं ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/IRRIG/152697/2022

––00––

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा वनमण्डल सीहोर के परिक्षेत्र रेहटी में प्रस्तावित महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण हेतु 37.031 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन बावत् वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/FP/MP/IRRIG/152697/2022 से पंजीबद्ध कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित कर अनुमति चाही गई है।

प्रकरण वनमण्डल द्वारा ऑन लाईन भरा जाने वाला भाग–2 की पूर्ति हेतु मौके पर ले–आउट (सीमांकन एवं चिन्हांकन) कराने के उपरांत वनपरिक्षेत्राधिकारी रेहटी से सम्पर्क कर निम्नलिखित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें।

1. मौके पर सीमांकन कर विस्तृत प्रतिवेदन देवे जिससे कि प्रभावित क्षेत्र मे खड़े वृक्षो का चिहांकन किया जा सके।
2. मौके पर सीमांकन एवं संयुक्त स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार करावे।
3. वन मानचित्र स्केल 1:12500 एवं 1:50000 पर प्रस्तावित स्थल GPS रीडिंग के दर्शित कर संयुक्त हस्ताक्षर करे।
4. प्रस्तावित क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई वन कक्ष वार प्रभावित रकबेवार जानकारी का समावेश करे।
5. प्रस्तावित वन भूमि में विदोहन हेतु प्रभावित खड़े वृक्षों की गणना कर सूची प्रजातिवार, गोलाईवार, एवं गोशवारा, फार्म 30, अपसेट प्राईज सहित तथा विदोहन व्यय की राशि की नियमानुसार गणना कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तैयार कर संलग्न करावें।
6. वन परिक्षेत्राधिकारी की 24 बिंदुओं की निरीक्षण प्रतिवेदन मय हस्ताक्षर की प्रति संलग्न कराए।
7. वृक्षों की गणना संबंधी प्रमाण पत्र (गोलाई, दर, राशि) सहित।
8. आप के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र को सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र पर दर्शित कर ऑनलाईन कर भाग–1 के बिंदु क्रमांक C(III) में आपलोड नही किया गया है तथा इसके बदले अन्य विकल्प संबंधी मानचित्र आपलोड कर दिया है। अतः उक्त मानचित्र को ऑनलाईन आपलोड करावें तथा 05 प्रति में इस कार्यालय में प्रेषित करावें।
9. ऑनलाईन भाग–1 बिंदु क्रमांक L5 में वैकल्पिक वृक्षारोपण का जियो रिफ्रेस मेंप आपलोड किया गया है। परन्तु इसकी हार्डकापी संलग्न प्रेषित नहीं की गई है।
10. प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार पत्र धारी तथा गैर–वन अधिकार पत्र धारी तथा 15 वर्षीय पट्टेधारी की जानकारी तैयार कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

अतः वनपरिक्षेत्राधिकारी रेहटी से संपर्क कर उपरोक्तानुसार बिन्दुवार जानकारी तैयार करावे तथा इस कार्यालय प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

E:\VERMA\All Letter\LETTER...2023 303

o/c

पृ.क्रमांक / मानचित्रकार / 2023 / 7754 सीहोर, दिनांक 04/08/2023

प्रतिलिपि :—

1. **वनपरिक्षेत्राधिकारी रेहटी** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आवेदक विभाग द्वारा मौके पर ले—आउट (सीमांकन / चिहांकन) उपरांत पत्र मे उल्लेखित बिंदुओ की जानकारी तैयार कर समय सीमा मे प्रेषित कराना सुनिश्चित करे। प्रकरण मे प्रतिवेदन वस्तुस्थिति पर तैयार किया जावे। यदि आवेदक विभाग द्वारा संपर्क नही किया जाता है। तो अविलंब इस कार्यालय मे सूचित करे।
2. उपवनमण्डलाधिकारी बुधनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर